न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 56 / 2013 दायर दिनांकः 22.05.2013

उनवान

1. मृतक —पुरीलाल पि. केशूराम जाति धाकड़ नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल

1/1. मोहनबाई पत्नि पुरीलाल जाति धाकड़ नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल

1/2. गायत्रीबाई बेवा भगवानसिह जाति धाकड़ नि. खांदलखेडी तह. सुनेल

1/3 मनीष कुमार नाबालिग पि. भगवानसिह जरिये संरक्षक बलीमाता गायत्रीबाई जाति धाकड़ नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल

1/4 चेतना नाबालिग पुत्र पि. भगवानसिंह जरिये संरक्षक बलीमाता गायत्रीबाई जाति धाकड़ नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल

1/5 ममताबाई पुत्री पुरीलाल जाति धाकड़ नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल

2. चुन्नीलाल पि. केशूराम जाति धाकड़ नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल

3. गटटूबाई पत्नि चुन्नीलाल जाति धाकड़ नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल

वादीगण

बनाम

1. मृतक—देवीलाल पि. हरीसिंह जाति धाकड़ नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल
2. पुरीलाल पि. देवीलाल जाति धाकड़ नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल
3. दिलीपचद पि. देवीलाल जाति धाकड़ नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल
4. लालचन्द पि. देवीलाल जाति धाकड़ नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषक —

अभिभाषक वादीगण — श्री हुकुमचन्द कुमावत

प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/2 — श्री महेन्द्रसिंह मीना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक : 17.04.2026

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जसवन्तपुरा, परवार क्षेत्र सामरिया तहसील पिऊवा जिला झालावाड़ में स्थित आराजी खाता सं नई 52 पुराना 54 ख.नं. 307 रकबा 08 बीघा 17 बिस्वा आराजी वादी नं 1 व 2 के खातेदारी की दर्ज होकर काबिज काश्त हे। यह कि ग्राम जसवन्तपुरा में ही खाता सं: नया 15 पुराना 207 खसरा नं. 291 रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा आराजी वादी नः 3 की खातेदारी में दर्ज होकर काबिज कारत हे। यह वाद पत्र के चरण क्रमांक 1 व 2 में दर्ज आराजी वादीगण शामलाती रूप से काश्त करते हें तथा काश्त मे देखरेख, सहयोग, वादीगण के रिश्तेदार श्री भेरूलालजी व तुलसीरामजी धाकड़ जसवन्तपुरा भी करते हैं। यह कि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की आराजी ग्राम जसवन्तपुरा में ही खसरा नं. 310 स्थित हें यह आराजी वादीगण की खातेदारी, कब्जे, काश्त की आराजी के दक्षिण पूर्व दिशा में लगी है। यह कि प्रतिवादीगण सहजोर, ताकतवर, बाहुबली व्यक्ति हे जो नाजायान रूप से वादीगण के तंग व परेशान करने के लिए वादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा में 307, व 291 में बिना किसी अधिकार हक के आये दिन नुकसान कारित करते है, लगे हुए तार खम्भों को नुकसान करते है तथा खेते में नया रास्ता कायम करने की नियत से तारों को काटकर ट्रेक्टर, टाली. कृषि औजार बैलगाडी, वाहन आदि निकालते है जिसका उन्हे हक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण का यह सभी कार्य अवैधानिक होकर रोकने योग्य है। यह कि सनातन काल से ही प्रतिवादीगण एवं इससे पूर्व विक्रेता श्री हीरालाल पि. घीसाजी धाकड निवासी जसवन्तपुरा का यह ख. नं 310 रहा हे उस वक्त भी इस ख.न. 310 पर पहुंचने का रास्ता वादीगण के खातेतरी की आराजी खसरा नं 307, 291 में विद्यमान नहीं रहा हे उनका चालू निर्विवाद रास्ता खसरा नं. 308 की उत्तरी मेढ़ पर ही रहा हे इसका उपयोग नहीं कर प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी में नया रास्ता कायम करना चाहते हैं जिसका अधिकार कानूनन प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं है। यह कि प्रतिवादीगण दिनांक 16.05.2013 को सुबह लगभग 7.30 बजे भी वादीगण के लगे हुए तारो को काटकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण के खसरा न 307 व 291 में होकर अपना टेक्टर पंजा, पलव लेकर गये। उन्हे तुलसीरामजी द्वारा रोका गया तो मारने–पिटने पर आमादा हो गये। तब वादीगण ने उस घटना की रिपोर्ट थाना सुनेल में भी की है। इस सबके बावजूद भी प्रतिवादीगण नया रास्ता बनाने पर उत्तारू होने से उनके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र पेश करना आवश्यक एवं उचित हुआ है। यह कि यदि प्रातिवादीगण अपने जनबल, धनबल, बाहुबल के आधार पर वादीगण के खातेदारी, कब्जे काश्त की आराजी में नया रास्ता, बनाने, निकालने, कायम करने में सफल हो जाते हैं। तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी, वादीगण अपने हक अधिकारों से वंचित हो जायेगें व्यर्थ की अशान्ति उत्पन्न होगी, मुकद्दमें बाजी बढ़ेगी, जिसमें धन एवं समय का अपव्यय होगा। इस कारण आवश्यक हो गया कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाना आवश्यक है जिसकी पात्रता एवं अधिकार वादीगण को प्राप्त है। यह कि वाद कारण लगभग 1 माह पूर्व उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण अपने सनातनी चालू रास्ते के उपयोग छोडकर वादीगण की आराजी में नया रास्ता कायम करने पर आमदा हुए। लड़ाई झगड़ा शुरू किया तथा दिनांक 16.05.2013 के तार–खंबे को काटकर नुकसान कारित कर ट्रेक्टर पंजा आदि वादीगण की भूमि में प्रवेश करवायें यही वाद कारण रहा। यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजी, रास्ता ग्राम जसवन्तपुरा में स्थित होने से न्यायालय के सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर अन्दर अवधि प्रस्तुत है। यह कि वादीगण वादपत्र सादर सेवा में पेश कर माननीय न्यायालय से प्रार्थना करते हे कि –

(अ) बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा की डिग्री इस आशय की जारी कि जावे कि प्रतिवादीगण ताकत के बल पर वादीगण के खातेदारी की आराजी ग्राम जसवन्तपुरा पटवार क्षेत्र सामरिया में स्थित आराजी ख. नं 307, 292 रकबा क्रमश 08 [illegible] बिस्वा आराजी के किसी भाग दिशा अंश बिस्वा भू[illegible] नहीं करें। ट्रेक्टर ट्राली, बैलगाडी, कृषि–औजार आदि [illegible] निकालने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:12 IST
Reason: SelfAttested

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

प्रयास वादीगण की खातेदारी में तार खम्भों, बागड़ फसल, घास पैड पौधो आदि का नुकसान नहीं पहुंचायें वादीगण की खातेदारी की आराजी में बेजा मदाखलत, बेजा मजाहमत नहीं करें। उक्त कार्य ना तो स्वयं करे नाही अन्य किसी के सहयोग से करें या करवायें।

(ब) अन्य न्यायोचित राहत जो भी बनजदीकी हो वादीगण को प्रदान की जायें। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादरीगण से दिलवाया जायें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र का पैरा नं– 1 राजस्व रेकार्डेड होने से सही है। यह कि वाद पत्र का पैरा नं 2 राजस्व रेकार्ड का होने से जवाब का मोहताज नहीं है। यह कि वाद पत्र का पैरा नं. 3 गलत होने से अस्वीकार है। यह कि वाद पत्र का पैरा नं. 4 में स्वीकार है की प्रतिवादीगण की आराजी वादीगण के आराजी के दक्षिण पूर्व दिशा में लगी हुई है। यह कि वाद पत्र का पैरा नं. 5 गलत होने से अस्वीकार है। गलत है कि प्रतिवादीगण वादीगण को तंग व परेशान करते हो ओर यह भी गलत है की आऐ दिन नुकसान कारित करते हो यह भी गलत है कि खेतो में नया रास्ता कायम करने की नियत से तारो को काट कर ट्रेक्टर ट्राली आदी निकालते हो। सही तथ्य यह है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण का रास्ता बन्द कर तार फैन्सिंग कर दी जबकी प्रतिवादीगण का आराजी खसरा नं. 310 पर जाने आने का सनातनी रास्ता खसरा नं 307 व 291 में से होकर रहा है। यह कि वाद पत्र का पैरा नं. 6 गलत होने से अस्वीकार है। गलत है कि पूर्व के विक्रेता हीरा लाल खसरा नं. 310 पर पहुँचने का रास्ता खसरा नं. 307 व 291 मे नही रहा हो। यह गलत है कि प्रतिवादी का चालू रास्ता खसरा नं. 308 की उत्तरी मेड पर रहा हो। यह भी गलत है की प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी मे से नया रास्ता कायम करना चाहते हो। यह कि वाद पत्र का पैरा नं. 7 गलत होने से अस्वीकार है। यह कि वाद पत्र का पैरा नं. 8 गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण प्रतिवादीगण की आराजी में से नया रास्ता कायम कर रहे हो सही तथ्य यह है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

सनातनी रास्ता बन्द करने की नियत से गलत तथ्यों पर उक्त वाद पेश किया है और यदि उक्त वाद की आड़ में वादीगण प्रतिवादीगण का रास्ता बन्द करने में सफल हो गये तो प्रतिवादीगण की भारी अपरिमित क्षति होगी इसके विपरित वादीगण को किसी प्रकार का नुकसान होने की सम्भावना नहीं है। यह कि वाद पत्र का पैरा नं गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण का कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है उक्त वाद दुंभावना पुर्वक प्रतिवादीगण का रास्ता बन्द करने की नियत से पेश किया गया है। यह कि वाद पत्र का पैरा नं 10 कानूनी है। यह कि वाद पत्र का पैरा नं. 11 कानूनी है। यह कि वाद पत्र का पैरा नं. 12 गलत है तथा अस्वीकार है। चाही गई प्रार्थना अस्वीकार है। **विशेष आपत्तियों–** यह कि ग्राम जसवन्तपुरा तहसील पिडावा की आराजी खसरा नं. 310 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा अप्रार्थी नं. 2 पूरीलाल ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 07.06.1981 के हीरालाल व उसकी बहन सुन्दरबाई से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तब से उक्त आराजी प्रतिवादी नं. 2 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। जिसकी खातेदारी घोषणा का वाद इसी सम्मानीय न्यायालय में लम्बीत है। यह कि आराजी खसरा नं. 310 रकबा 6 बीघा 10 पर जाने आने का सनातनी रास्ता वादीगण की आराजी खसरा नं. 307 उत्तरी मेड पर होकर वादी नं 3 गट्टूबाई के खेत की आराजी खसरा नं 291 की पूर्वी मेड पर होर रहा है। वादीगण ने तार फैन्सिग करके प्रतिवादी का रास्ता अवरूद्ध कर दिया है। मौके पर खसरा नं.–307 तक रास्ता है परन्तु आगे खसरा नं. 291 में तार फेन्सिग कर वादीगण ने रास्ता बन्द कर दिया जो प्रतिवादीगण का एक मात्र सनातनी रास्ता है। वादीगण ने यह दर्शाने के लिए कि प्रतिवादी का रास्ता खसरा नं.–308 की उत्तरी मेड पर होकर है। तार फैन्सिग करते समय खसरा नं.–307 की दक्षिणी मेड पर 5–6 फिट रास्ता छोडकर तार फैन्सिंग हो रहे थे। इस 5–6 फिट रास्ते पर भी प्रतिवादीगण के ट्रेक्टर कृषि सामान, सामद इत्यादि नहीं निकल सकते है। वादीगण को प्रतिवादीगण का सनातनी रास्ता बन्द करने की कोई अधिकार नही है। यह कि प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम पंचायत जसवन्तपुरा में रास्ते के बाबत् कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

करने पर दिनांक 15.03.2013 को ग्राम पंचायत सामरिया द्वारा मौका देखा गया जिसमें प्रतिवादी के खेत का रास्ता रोकने वाले चुन्नीलालजी धाकड एवम कोरम के बीच खेत का रास्ता देने पर सहमती बनी थीं वादी ने सबके सामने फैसला कर लिया था कि में 15 दिन मे खेत की पैमाईश करवा कर इनका रास्ता चालू कर दूँगा व इस बीच इनका कोई साधन निकला तो मेरे तार खोलकर निकालूंगा। मौका रिपोर्ट पंचायत सामरिया दिनांक 15.03.2013 पेश है। यह कि जब ग्राम पंचायत सामरिया द्वारा भी रास्ते का विवाद नही सुलझाने पर अप्रार्थी ने धारा 251 रा.टी.एक्ट के तहत न्यायालय तहसीलदार साहब पिडावा के यहाँ प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है। इस पर हल्का पटवारी द्वारा मौका देखा गया जिसमें भी प्रतिवादीगण का रास्ता वादीगण ने तार फैन्सिंग कर बन्द कर रखा है आया है। पटवारी मौका रिपोर्ट में अन्त में यह लिख देने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्थगन हो रहा है तो अप्रार्थी को वहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी प्रति पेश है। यह कि पादीगण ने सही तथ्यों को छिपाया है तथा दुर्भावना से प्रतिवादीगण का रास्ता तार फैन्सिंग करके रोक रखा है तथा इस वाद पत्र की आठ में बादी प्रतिवादीगण का रास्ता बन्द कर देना चाहता है। प्रतिवादीगण को कही से भी न्याय नही मिल सके इसलिये यह वाद एव प्रार्थना पत्र पेश किया है। बादी ने सही तथ्यों को छिपाया है। वादीगण माननीय न्यायालय के सामने स्वस्थ हाथो से नहीं आये है। यह कि वादी नं.–3 ने खसरा न 291 मोतीलाल आत्मज श्री मगनलाल धाकड निवासी कादर नगर से खरीद किया है। उस समय भी प्रतिवादीगण का रास्ता इसी खसरा नम्बर से होकर रहा है। वादीगण ने प्रतिवादीगण का रास्ता अवरूद्ध कर गलत तथ्यों पर वाद पेश किया है। वादीगण का प्राईमाफैसी केस नहीं है ओर सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष में नहीं है। यदि वादीगण प्रतिवादीगण का हमेशा का एक मात्र रास्ता बन्द कर दिया तो स्थाई निषेधाज्ञा की ... अपूर्णीय क्षति भी वादीगण को न होकर प्रतिवादीगण की ही हानि की संभावना है। अतः मय खर्चे खारीज फरमाये। आराजी खसरा नं.– 310 प्रतिवादीगण के खसरा नं. मेड पर

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

है को वादीगण खुलासा करवाया जाये। खिलाफ जारी की जाये। जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद वादीगण को पाबन्द किया जावे की वे प्रतिवादीगण का वाके ग्राम जसवंतपूरा पर आने जाने का रास्ता जो 307 की उत्तरी मेड पर होकर खसरा नं. 291 की पूर्वी नही रोके तथा उक्त रास्ते को अनापक व्यादेश द्वारा इस आशय की डिकी प्रतिवादीगण के पक्ष में वादीगण के खिलाफ जारी की जावे।

3. वाद के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण हेतु दावे एवं जवाब दावा के अवलोकन के आधार पर निम्न तनकीयात/विवाद बिन्दू कायम की गई –

1. आया वादीगण ग्राम जसवंतपुरा की आराजी ख.न. 307 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा व ख.नं. 291 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि के खातेदार काश्तकार होकर स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है।

– जिम्मे वादीगण

2. आया वादीगण ने उक्त वादग्रस्त आराजी में तार, खम्भे लगा रखे है जिसमें किसी प्रकार का रास्ता नहीं है इसलिये वादीगण की आराजी में प्रतिवादीगण को नया रास्ता कायम करने का अधिकार नहीं है।

– जिम्मे वादीगण

3. आया प्रतिवादीगण अपनी आराजी ख.नं. 310 में जाने हेतु सनातन से ख.नं. 307 की उत्तरी मेड पर से होकर जाने वाले रास्ते का उपयोग कर रहे है जिससे उक्त सनातनी रास्ते को बंद करने का वादीगण को कोई अधिकार नहीं है।

– जिम्मे प्रतिवादीगण

4. आया वादीगण का वाद गलत तथ्यों पर आधारित है एवं वादीगण द्वारा सनातनी रास्ता बंद कर देने से प्रतिवादीगण को अपूरनीय क्षति की संभावना होगी अत. वाद वादीगण काबिल खारिज है।

– जिम्मे प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

4. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम जसवंतपुरा के खाता सं. 52 की जमाबंदी सं. 2069–72 प्रदर्श 1, खाता सं. 15 जमाबंदी सं. 2069–72 प्रदर्श 2, नक्शा ट्रेस दिनांक 20.05.2013 प्रदर्श 3, खसरा गिरदावरी सं. 2066–68 प्रदर्श 4, खाता सं. 28, 73 जमाबंदी सं. 2073–76 नकल व आरएए कोटा न्यायालय का प्रकरण सं. 15/2017 देवीलाल बनाम पूरीलाल निर्णय दिनांक 02.05.2018 की प्रति, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा का प्रकरण सं. 33/2013 पूरीलाल बनाम देवीलाल निर्णय दिनांक 05.05.2016 की प्रति, न्यायालय तहसीलदार तहसील सुनेल का प्रकरण सं. 2/2018 पूरीलाल बनाम देवीलाल निर्णय दिनांक 27.04.2022 की प्रति पेश की एवं मौखिक साक्ष्य में चुन्नीलाल पि. केशुराम, तुलसीराम पि. भेरूलाल, हरीसिंह पि. भेरूलाल PW-1 to PW-3 के बयान लेखबद्ध कराये।

5. प्रतिवादी द्वारा मौखिक साक्ष्य में पूरीलाल पि. देवीलाल, कंवरलाल पि. रामनारायण, भारतसिंह पि. भेरूलाल, नरवरसिंह पि. मगनलाल DW-1 to DW-4 के बयान लेखबद्ध कराये।

6. अभिभाषक वादीगण की बहस एकतरफा के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है–

<u>तनकी नं. 1</u>– आया वादीगण ग्राम जसवंतपुरा की आराजी ख.न. 307 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा व ख.नं. 291 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि के खातेदार काश्तकार होकर स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। ग्राम जसवंतपुरा तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी सं. 2069–72 प्रदर्श 1 व 2073–76 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 307 वादी सं. 1 व 2 के खाते एवं ख.नं. 291 वादी सं. 3 के खाते दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी पर अपनी खातेदारी के संबंध में [illegible] पेश नहीं किया है। अतः तनकी नं. 1 वादीगण के पक्ष में साबित होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

<u>तनकी नं. 2</u>– आया वादीगण ने उक्त वादग्रस्त आराजी में तार, खम्भे लगा रखे है जिसमें किसी प्रकार का रास्ता नहीं है इसलिये वादीगण की आराजी में प्रतिवादीगण को नया रास्ता कायम करने का अधिकार नहीं है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 291 व 307 के लगवा दक्षिण पूर्व में प्रतिवादीगण की आराजी ख.नं. 310 स्थित है। वादीगण ने अपनी आराजी के चारो तरफ तार फेसिंग कर रखी है और वादीगण की आराजी ख. नं. 307 की उत्तरी मेड से होकर पूर्व की तरफ चलकर ख.नं. 291 की उत्तरी मेड से होते हुए पूर्वी मेड के सहारे दक्षिण की ओर ख.नं. 310 तक आने जाने के लिए कोई रास्ता बना हुआ नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण दादागिरी व बलपूर्वक नया रास्ता कायम कर ना केवल वादीगण की भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमदा है बल्कि वादीगण को उनके कानूनी अधिकारो से वंचित कर अपूरनीय क्षति कारित करने पर आमदा है जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। आगे तर्क किया कि प्रतिवादीगण की आराजी ख.नं. 310 पर पहूँच हेतु मुख्य सडक से ख.नं. 307 व 308 की मध्य मेड से होकर लघुत्तम व सीधा रास्ता उपलब्ध होने पर भी जबरन नया रास्ता कायम करने पर आमदा है। आगे तर्क किया कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. 33/2013 में अपने निर्णय दिनांक 05.05.2016 से मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश जारी किया था जिसे माननीय आर.ए.ए.कोटा द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 02.05.2018 से यथावत रखा गया था। आगे तर्क किया कि प्रतिवादीगण स्थगन आदेश वर्ष 2013 से आज दिनांक तक अपनी भूमि पर काश्त करते आ रहे है जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण की आराजी ख.नं. 310 पर पहूँच हेतु अन्य रास्ता भी उपलब्ध है।

अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा उक्त बहस का पूरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण की आराजी ख.न. [illegible] पहूँच हेतु विगत 50–60 सालो से सनातनी व प्रचलित रास्ता है जो [illegible] सडक से चलकर वादीगण की आराजी ख.नं. 307 [illegible] होकर पूर्व की तरफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

चलकर ख.नं. 291 की उत्तरी मेड से होते हुए पूर्वी मेड के सहारे दक्षिण की ओर ख.नं. 310 तक पहूँचता है। प्रतिवादीगण सनातन से इसी रास्ते से होकर आते जाते रहे है। वादी सं. 3 भी ख.नं. 291 तक इसी रास्ते से होकर आते जाते है केवल ख.नं.291 की पूर्वी दक्षिण मेड पर रास्ते को बलपूर्वक बंद कर दिया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त सनातनी प्रचलित रास्ते के खुलासे हेतु अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट प्रकरण सं. 2/2018 उनवान पूरीलाल बनाम पूरीलाल दायर किया था जिसे तहसीलदार द्वारा गैर कानूनी रूप से खारीज कर धारा 251ए आर.टी.एक्ट में सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने का निर्देश दिया था। प्रतिवादीगण कोई नवीन रास्ता कायम नहीं कर रहे है बल्कि पूर्व से प्रचलित सनातनी रास्ते का खुलासा कराना चाहते है ताकि गरीब प्रतिवादीगण की वर्षो से पडत पडी आराजी पर फसल काश्त की जा सके अन्यथा प्रतिवादीगण का परिवार भरण पोषण कर पाये। वादीगण द्वारा रास्ता रोके जाने से प्रतिवादीगण की भूमि 2013 से पडत पडी हुई है जिससे प्रतिवादीगण को अपूरनीय क्षति कारित हो रही है। अतः वादीगण का वाद खारीज फरमाया जाकर रास्ता खुलासा करवाया जावे।

बहस उभयपक्ष के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकी नं. 1 विश्लेषण से स्पष्ट है कि **वादीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है और भूमि की किस्म गे.मु. रास्ता नहीं है।** स्वयं वादी चुन्नीलाल पीडब्ल्यू 1 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण मेरे खेत से होकर तारो को काटकर टेक्टर आदि कृषि उपकरण निकालते है जिसे रोकने के लिए मैने यह दावा पेश किया है। यह सही है कि प्रतिवादी की कृषि भूमि 2 साल से पडत है क्योंकि प्रतिवादीगण के खेत में जाने का कोई रास्ता नहीं है। स्वयं वादी चुन्नीलाल ने स्वीकार किया है कि प्रतिवादी ने मेरी जमीन से होकर नया रास्ता लेने के लिए इस न्यायालय में धारा 251ए में दावा चला रखा है। वादीगण द्वारा पेश गवाह पीडब्ल्यू 2 [illegible] ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि मेरा वादग्रस्त आराजी के [illegible] है। प्रतिवादी ने यह खेत हीरालाल से खरीदा था। प्रतिवादी के खेत पर जाने आने का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

रास्ता मौजूद नहीं है और प्रतिवादी का खेत 2–3 साल से पडत पडा हुआ है। प्रतिवादी वादी के खेत में से रास्ते से होकर निकलना चाहता है लेकिन वादी निकलने नहीं देना चाहता है। पीडब्ल्यू 3 हरीसिंह ने जिरह में स्वीकार किया है कि प्रतिवादी पूरीलाल का खेत चार पांच साल से पडत हुआ है और खेत तक पहूँच हेतु कोई चालू रास्ता नहीं है। चुन्नीलाल जी मेरे रिश्तेदार है। मैं चार पांच साल पहले पटवारी कानूगो व सरपंच के साथ वादी चुन्नीलाल के विवादित रास्ते वाली जगह पर गया था। प्रतिवादीगण पूरीलाल डीब्ल्यू 1 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि मेरे द्वारा हीरालाल से ख.नं. 310 खरीदने से पहले पूरीलाल व चुन्नीलाल ने ख.नं. 307 वाला खेत खरीदा था लेकिन ख.नं. 291 गटटूबाई ने मेरे बाद में खरीदा था। मेरे द्वारा यह खेत खरीदने के बाद वादीगण ने ख.नं. 291 व 307 से प्रचलित सनातनी रास्ते को बंद कर ख.नं. 307 व 291 के चारो ओर तार फेसिंग कर दी जिससे 8–10 साल से मेरी जमीन पडत पडी हुई है। आगे स्वीकार किया है कि मेरे खेत तक आने जाने के लिए कोई सरकारी रास्ता नहीं है। मेरे रिश्तेदार भंवरलालजी के खेत ख.नं. 308 से होकर ख.नं. 310 तक कभी सनातनी रास्ता नहीं रहा है। गवाह डीडब्ल्यू 2 कंवरलाल ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि भंवरलाल के खेत ख.नं. 308 से होकर प्रतिवादीगण अपने खेत पर कभी नहीं निकले है। प्रतिवादीगण खांदलखेडी रहते है और खांदलखेडी की ओर से आते जाते है जबकि विक्रेता हीरालालजी जोनपुरा के रहने वाले थे और जोनपुरा से ही आते जाते थे। साक्ष्य गवाह डीडब्ल्यू 3 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि प्रतिवादी देवीलाल पूरीलाल के खेत के पश्चिम दिशा में आम रास्ता स्थित है जो जोनपुरा से सेमला जाता है। प्रतिवादीगण खांदलखेडी से आम रास्ते से आते जाते है। साक्ष्य गवाह डीडब्ल्यू 4 ने स्वीकार किया है कि वर्ष 2010–11 में हमने जब से खेत चुन्नीलाल को बेचा है तभी से गटटूबाई व चुन्नीलाल ने [illegible] मेरे खेत बेचाने के 2–3 साल बाद ही तार बावण्डी [illegible] ख.नं. 291 व 310 को जोनपुरा वाले दो सगे भाईयों ने बेचा [illegible] खेतो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

जोनपुरा से होकर ही आते जाते थे। खरीदने वाला पूरीलाल के पिता देवीलाल खांदलखेडी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के गवाहो की जिरह के विश्लेषण से जाहिर है कि ख.नं. 291 व 310 को वादी व प्रतिवादीगण ने ग्राम जोनपुरा के खातेदारो से खरीदा था। **ख.नं. 291 को चुन्नीलाल की पत्नि गटटूबाई ने 2010–11 के आसपास खरीदा था और खरीदने के कुछ समय बाद ही ख.नं. 291 से होकर बने रास्ते को बंद कर दिया और 2–4 वर्ष बाद चारो ओर तार फेसिग कर दी गई। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी की तार फेसिग होना जाहिर होता है जिससे कुछ वर्षो से प्रतिवादी की भूमि ख.नं. 310 पडत पडी हुई है।** यह भी जाहिर होता है कि ख.नं. 291 व 310 के विक्रेतागण खांदलखेडी वाले रास्ते से नहीं आ कर जोनपुरा वाले रास्ते से होकर यहां आते जाते थे लेकिन साक्ष्य के अभाव यह स्पष्ट नहीं है कि खांदलखेडी वाला रास्ता किन किन ख. नं. से होकर गुजरता है और जोनपुरा वाला रास्ता किन किन ख.नं. से होकर गुजरता है। प्रतिवादीगण द्वारा पेश दिनांक 15.03.2013 एवं 31.05.2013 की ग्राम पंचायत सामरिया के सरपंच की मौका रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि चुन्नीलाल धाकड ने ग्राम पंचायत कोरम को रास्ता देने पर सहमति दी थी और प्रदह दिन भूमि की पैमाईश करवाकर पूरीलाल पि. देवीलाल का रास्ता चालू करने और तार खोलकर पूरीलाल पुत्र देवीलाल के साध्नो को निकालने का कथन किया जाना प्रतीत होता है। **प्रतिवादीगण द्वारा पेश पटवारी हल्का सामरिया की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.06.2013 के अवलोकन से प्रतीत होता है** कि मौके पर ख.नं. 307 की दक्षिण मेड पर अप्रार्थी चुन्नीलाल द्वारा 6–7 फीट का रास्ता छोडकर तथा उत्तरी मेड पर भी रास्ता छोडकर तार बावण्डी कर रखी है। तथा आराजी ख.नं. 291 में भी अप्रार्थी चुन्नीलाल द्वारा तार बावण्डी कर रखी है। ग्रामवासियान द्वारा बताया कि ख.नं. 292 व 291 पर जाने के लिए मौके पर ख.नं. 307 की उत्तरी मेड पर चुन्नीलाल द्वारा रास्ता छोड रखा है किन्तु ख.नं. 310 तक जाने हेतु ख.नं. 291 व 307 ... हुए है। इस कारण ख.नं. 291 की उत्तरी मेड पर भी रास्ता बंद ... अप्रार्थी चुन्नीलाल द्वारा प्रार्थी पूरीलाल के ख.नं. 310 पर जाने हेतु ख.नं. 307 की दक्षिण मेड पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

5–6 फीट चौडा रास्ता दोड रखा है जिससे प्रार्थी पूरीलाल सहमत नहीं है। उपरोक्त विवचन व विश्लेषण से जाहिर है कि वर्ष 2013 में ख.नं. 307 की उत्तरी मेड से होकर ख.नं. 292 की दक्षिण पश्चिम मेड से होकर ख.नं. 291 की उत्तरी मेड पर रास्ता बना हुआ था जो खातेदारान वादीगण द्वारा ख.नं. 291 व 292 तक जाने के लिए बना रखा था। प्रतिवादी के ख.नं. 310 तक आने जाने के लिए वादीगण द्वारा ख.नं. 307 की दक्षिण मेड के सहारे 6–7 फीट रास्ता छोडकर शेष भूमि की तार फेसिग कर रखी थी। ख.नं. 291 की पूर्वी मेड के सहारे कोई प्रचलित सनातनी रास्ता होना साबित नहीं होता है और इसलिए प्रतिवादीगण को बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये ख.नं. 291 की पूर्वी मेड से होकर नवीन रास्ता कायम करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ख.नं. 307 की उत्तरी मेड से होकर जो रास्ता बना हुआ है, वह केवल ख.नं. 292 व 291 तक पहूॅच हेतु होना जाहिर होता है, ख.नं. 310 तक पहूॅच हेतु नहीं। प्रतिवादीगण द्वारा सनातनी प्रचलित रास्ता होने और प्रतिवादी के अतिरिक्त अन्य आम लोगो द्वारा पहूॅच हेतु उपयोग में लिए जाने का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है।

अतः तनकी नं. 2 ख.नं. 291 के संदर्भ में वादीगण के पक्ष में एवं ख. नं. 307 की दक्षिण मेड के सहारे प्रतिवादी को वर्ष 2013 में छोडे गए 6–7 फीट पहूॅच मार्ग की हद तक वादीगण के विरूद्ध साबित होती है।

<u>तनकी नं. 3</u>– आया प्रतिवादीगण अपनी आराजी ख.नं. 310 में जाने हेतु सनातन से ख.नं. 307 की उत्तरी मेड पर से होकर जाने वाले रास्ते का उपयोग कर रहे है जिससे उक्त सनातनी रास्ते को बंद करने का वादीगण को कोई अधिकार नहीं है। उक्त तंनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। तनकी नं. 1 व 2 किये गये विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ख.नं. 307 की उत्तरी मेड के सहारे ख.नं. 291 की उत्तरी मेड के सहारे होकर पूर्वी मेड से दक्षिण की ओर ख.नं. 310 तक पहूॅच हेतु [illegible] सनातनी रास्ता होना साबित नहीं होता है। अतः तनकी नं. 3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध साबित होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

तनकी नं. 4– आया वादीगण का वाद गलत तथ्यों पर आधारित है एवं वादीगण द्वारा सनातनी रास्ता बंद कर देने से प्रतिवादीगण को अपूरनीय क्षति की संभावना होगी अत. वाद वादीगण काबिल खारिज है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के उपर है। तनकी नं. 1 में किये गये विश्लेषण के आधार पर वादीगणख.नं. 291 व 307 के रिकार्डेड खातेदार कृषक है और इसलिए उन्हे धारा 188 आर.टी.एक्ट का वाद लाने का अधिकार है। तनकी नं. 2 व 3 के विश्लेषण से यह तो साबित है कि पहूँच हेतु कोई रास्ता नहीं होने से प्रतिवादीगण की आराजी ख.नं. 310 विगत कुछ वर्षो से पडत है जिससे प्रतिवादी किसान के लिए भरण पोषण की समस्या उत्पन्न होना और अपूरनीय क्षति कारित होना जाहिर होता है लेकिन वादीगण के ख.नं. 291 की पूर्वी मेड से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये या सक्षम न्यायालय के आदेश के नया रास्ता कायम करने से वादीगण के कानूनी अधिकारो का हनन होने और कुछ भूमि खुर्द बुर्द होने से वादीगण को भी अपूरनीय क्षति कारित होगी। यह सही है कि वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा नये रास्ते हेतु धारा 251ए आर.टी.एक्ट में प्रार्थना पत्र सं. 76/2025 पूरीलाल बना चुन्नीलाल भी इसी न्यायालय में बहस अंतिम में लंबित है। जिसमें आगामी तारीख पेशी 24.04.2026 नियत है। प्रतिवादीगण द्वारा पेश ग्राम पंचायत सामरिया व हलक पटवारी सामरिया की वर्ष 2013 की रिपोर्ट के आधार पर ख.नं. 307 की दक्षिण मेड के सहारे 6–7 फीट का रास्ता छोडा गया था जिसे भी वादीगण द्वारा अस्थाई रूप से बंद कर दिया है जो प्रकरण सं. 76/2025 में पेराकार सरकार तहसीलदार सुनेल द्वारा पेश मौका रिपोट दिनांक 22.07.2025 से भी साबित होता है। अतः वादपत्र के कुछ तथ्य सही और कुछ तथ्य गलत होना प्रतीत होता है। अभिभाषक वादीगण द्वारा भी बहस के दौरान ख.नं. 307 की दक्षिण मेड व 308 की उत्तरी मेड के सहारे से नियमानुसार रास्ते दिये जाने पर सहमति व्यक्त की है। अतः उपरोक्त [illegible] के आधार पर तनकी नं. 4 आंशिक रूप से प्रतिवा[illegible] आंशिक रूप से प्रतिवादीगण के विरूद्ध साबित होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

7. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम जसवंतपुरा तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 291 व 307 के संबंध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

8. परिणामस्वरूप ग्राम जसवंतपुरा तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 291 व 307 के संबंध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम जसवंपुरा के ख.नं. 291 की उत्तरी एवं पूर्वी मेड के सहारे ना कोई रास्ता कायम करे और ना ही तार फेसिंग को नुकसान पहूचावे। नवीन रास्ते हेतु लंबित प्रकरण सं. 76/2025 के निर्णित होने तक वादीगण ख.नं. 307 की दक्षिण मेड के सहारे वर्षो पूर्व छोडे गए 6—7 फीट चौडे रास्ते से होकर प्रतिवादीगण को निकलने से नहीं रोके। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/04/2026

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 56/2013 दायर दिनांकः 22.05.2013

उनवान

1. मृतक –पुरीलाल पि. केशूराम जाति धाकड़ नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल

1/1. मोहनबाई पत्नि पुरीलाल जाति धाकड़ नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल

1/2. गायत्रीबाई बेवा भगवानसिह जाति धाकड़ नि. खांदलखेडी तह. सुनेल

1/3 मनीष कुमार नाबालिग पि. भगवानसिह जरिये संरक्षक बलीमाता गायत्रीबाई जाति धाकड़ नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल

1/4 चेतना नाबालिग पुत्र पि. भगवानसिंह जरिये संरक्षक बलीमाता गायत्रीबाई जाति धाकड़ नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल

1/5 ममताबाई पुत्री पुरीलाल जाति धाकड़ नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल

2. चुन्नीलाल पि. केशूराम जाति धाकड़ नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल

3. गटटूबाई पत्नि चुन्नीलाल जाति धाकड़ नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल

वादीगण

बनाम

1. मृतक–देवीलाल पि. हरीसिंह जाति धाकड़ नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल

2. पुरीलाल पि. देवीलाल जाति धाकड़ नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल

3. दिलीपचद पि. देवीलाल जाति धाकड़ नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल

4. लालचन्द पि. देवीलाल जाति धाकड़ नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषक –

अभिभाषक वादीगण – श्री हुकुमचन्द

प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/2 – श्री महेन्द्रसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena

Date: 2026.05.15 14:01:12 IST

Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कराई ....X................ रूबरू..............X..............................
मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

ग्राम जसवंतपुरा तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 291 व 307 के संबंध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम जसवंपुरा के ख.नं. 291 की उत्तरी एवं पूर्वी मेड के सहारे ना कोई रास्ता कायम करे और ना ही तार फेसिंग को नुकसान पहूचावे। नवीन रास्ते हेतु लंबित प्रकरण सं. 76/2025 के निर्णित होने तक वादीगण ख.नं. 307 की दक्षिण मेड के सहारे वर्षो पूर्व छोडे गए 6–7 फीट चौडे रास्ते से होकर प्रतिवादीगण को निकलने से नहीं रोके।

17/04/2026

(दिनेश कुमार मीणा आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

निज ....X..................... मुवालिक ....X............. बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ...... X..............................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X............... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 17.04.2026 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिडावा

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner